संख्या-12/2015/ 149 सी0डी0/46-3-15-15(55)/2011

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 12 फरवरी, 2015

विषयः- वेतन समिति(2008) की संस्तुतियों के संदर्भ में कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के लिपिकीय संवर्ग **(मुख्यालय / जिला संवर्ग)** के पुनर्गठन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की राजकीय विभागों के सचिवालय से इतर लिपिकीय संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में दी गई संस्तुतियों पर लिये गये सामान्य निर्णयों से संबंधित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-401/दस-54(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 18 मार्च, 2011 तथा संख्या-वे0आ0-2-2105/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के क्रम में गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश के **मुख्यालय के लिपिकीय संवर्ग** में इस शासनादेश से संलग्न तालिका-1 के स्तम्भ-2 एवं 3 में उल्लिखित वर्तमान पदनाम/पदों की संख्या/पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन एवं भर्ती की प्रक्रिया के स्थान पर दिनांक 18 मार्च, 2011 से स्तम्भ-4 एवं 5 के अनुसार क्रमशः पदनाम/पदों की संख्या/पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन एवं भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता निर्धारित करने तथा दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से स्तम्भ-6 एवं 7 के अनुसार पदनाम/पदों की संख्या/पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन एवं भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता निर्धारित करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त के अतिरिक्त, गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश के **जिला कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग** में इस शासनादेश से संलग्न तालिका-2 के स्तम्भ-2 एवं 3 में उल्लिखित वर्तमान पदनाम/पदों की संख्या/पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन एवं भर्ती की प्रक्रिया के स्थान पर, दिनांक 18 मार्च, 2011 से स्तम्भ-4 एवं 5 के अनुसार पदनाम/पदों की संख्या/पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन एवं भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता निर्धारित करने तथा दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से स्तम्भ-6 एवं 7 के अनुसार पदनाम/पदों की संख्या/पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन एवं भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता निर्धारित करने की भी राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार पुनर्गठन के फलस्वरुप उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन में संबंधित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश

क्रमश---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-वे0आ0-2-841/दस-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-577/दस-59(एम)/2008, दिनांक 29 जून, 2010 में किये गये प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-79/दस-15, दिनांक 10 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव।

संख्या-12/2015/ 149(1) सी0डी0/46-3-15-15(55)/2011-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
3-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4-समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5-निदेशक, अधिष्ठान, पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6-समस्त क्षेत्रीय संयुक्त गन्ना आयुक्त/उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
7-समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5-वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
6-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
7-वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में)
8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-12/2015/ 149 सी0डी0/46-3-15-15(55)/2011, दिनांक 12 फरवरी, 2015 का संलग्नक।

तालिका-1(पृष्ठ-1)

गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के मुख्यालय का लिपिकीय संवर्ग

क्र0 सं0	**वर्तमान व्यवस्था**		**पुनर्गठन (दिनांक 18 मार्च, 2011 से प्रभावी) के अनुसार निर्धारित व्यवस्था**		**पुनर्गठन (दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से प्रभावी) के अनुसार निर्धारित व्यवस्था**	
	पदनाम/(पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में)/**पद संख्या**	**भर्ती की प्रक्रिया एवं अर्हता**	**पदनाम/ (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में)/ पद संख्या**	**भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता**	**पदनाम/**(पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में)/**पद संख्या**	**भर्ती की प्रक्रिया/ अर्हता**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1.	**कनिष्ठ लिपिक/टंकक** (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 1900/-)**/24**	विभागीय सेवा नियमावली के अनुसार	**कनिष्ठ सहायक/** (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 2000/-)**/24**	**(1) 80 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती।** अर्हता- इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त **''सी0सी0सी0''** प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। **(2) राज्य सरकार के सामान्य आदेशों के अनुसार 15 प्रतिशत पदों को चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति जो हाईस्कूल हों तथा टंकण ज्ञान रखते हों। 05 प्रतिशत पदों को चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति जो इण्टरमीडिएट हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों।**	स्तम्भ-4 के अनुसार	स्तम्भ-5 के अनुसार
2-	**वरिष्ठ लिपिक/** (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 2400/-)/**19**	-तदैव-	**वरिष्ठ सहायक/** (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 2800/-)/**19**	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा-05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।	स्तम्भ-4 के अनुसार	स्तम्भ-5 के अनुसार

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3-	**वरिष्ठ सहायक/** (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 2800/-)/**17**	-तदैव	**वरिष्ठ सहायक/** (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 2800/-)/**17**	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा-05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।	**प्रधान सहायक/** (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 4200/-) /**17**	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा- वरिष्ठ सहायक के पदों से।
4-	**अधीक्षक/** (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 4200/-)/**05** **लेखाकार** (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 4200/-) /**07** **प्रशासनिक अधिकारी** (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 4200/-) /**02**	-तदैव-	**प्रशासनिक अधिकारी/** (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 4200/-)/**14**	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा-05 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदों से।	**प्रशासनिक अधिकारी/** (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 4600/-) /**14**	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा-05 वर्ष की सेवा वाले प्रधान सहायक के पदों से।
5-	**वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/** (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 4600/-) /**01**	--	**वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/** (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 4800/-)/**01**	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा- 05 वर्ष की सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी के पदों से।	**वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/** (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 4800/)/**01**	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा-05 वर्ष की सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी के पदों से।
	पदों का कुल योग-75		**पदों का कुल योग-75**		**पदों का कुल योग-75**	

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-**12/2015/** 149सी0डी0/46-3-15-15(55)/2011, दिनांक 12 फरवरी, 2015 का संलग्नक।

तालिका-2(पृष्ठ-1)

गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के लिपिकीय संवर्ग (जिला स्तर)

क्र0 सं0	**वर्तमान व्यवस्था**		**पुनर्गठन (दिनांक 18 मार्च, 2011 से प्रभावी) के अनुसार निर्धारित व्यवस्था**		**पुनर्गठन (दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से प्रभावी) के अनुसार निर्धारित व्यवस्था**	
	पदनाम/ (पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में)/**पद संख्या**	**भर्ती की प्रक्रिया एवं अर्हता**	पदनाम/ (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में)/ पद संख्या	भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता	**पदनाम**/(पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में)/ **पद संख्या**	**भर्ती की प्रक्रिया/ अर्हता**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1.	**कनिष्ठ लिपिक/टंकक** (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 1900/-)/**149**	विभागीय सेवा नियमावली के अनुसार	**कनिष्ठ सहायक/** (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 2000/-)/**149**	**(1) 80 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती।** अर्हता- इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त **''सी0सी0सी0''** प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/ अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। **(2) राज्य सरकार के सामान्य आदेशों के अनुसार 15 प्रतिशत पदों को चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति जो हाईस्कूल हों तथा टंकण ज्ञान रखते हों।** **05 प्रतिशत पदों को चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति जो इण्टरमीडिएट हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों।**	स्तम्भ-4 के अनुसार	स्तम्भ-5 के अनुसार

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तालिका-2 (पृष्ठ-2)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	**वरिष्ठ लिपिक/** (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 2400/-) /**212**	-तदैव-	**वरिष्ठ सहायक/** (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 2800/) /**212**	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा-05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।	स्तम्भ-4 के अनुसार	स्तम्भ-5 के अनुसार
3.	**वरिष्ठ सहायक/** (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 2800/-) /**49** **मुख्य लिपिक ग्रेड-1/** (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 2800/-)/**09** **मुख्य लिपिक ग्रेड-2/** (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 2800/-) /**12**	-तदैव-	**वरिष्ठ सहायक/** (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 2800/) **/70**	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा-05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।	**प्रधान सहायक/** (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 4200/-) **/70**	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा- वरिष्ठ सहायक के पदों से।
4.	**मुख्य लिपिक ग्रेड-1/** (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 4200/-)/**06**	-तदैव-	**प्रशासनिक अधिकारी** /(वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 4200/-) **/06**	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा-05 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदों से।	**प्रशासनिक अधिकारी/** (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 4600/-) /**06**	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा-05 वर्ष की सेवा वाले प्रधान सहायक के पदों से।
	पदों का कुल योग-437		**पदों का कुल योग-437**		**पदों का कुल योग-437**	

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in